मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983

मध्प्रदेश अभिनियम

(दिनांक 7 अक्टूबर 1983 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई ; ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' (असाधरण) में दिनांक 12 अक्टूबर 1983 को प्रथमावार प्रकाशित की गई)उन विवादों में, जिनका एक पक्षकार राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाभीन या नियंत्रणाधीन कोई लोक उपक्रम हैं, मध्यस्था करने हेतु एक अधिकरण की स्थापना के लिए और उससे आनुवंगिक या संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1—प्रारंभिक

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम,1983 है.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा
(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें,
(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

क) ''माध्यस्थम् अधिनियम'' से अभिप्रेत है माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 10,
ख) ''बैच'' से अभिप्रेत है धारा 9 के अधीन गठित की गई अधिकरण की बैच
ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया अध्यक्ष''
घ) ''विवाद'' से अभिप्रेत है 50,000 रूपये या उससे अधिक मूल्यांकन के अभिनिश्चित धन के दावे से संबंधित कोई विवाद जो किसी संकर्म संविदा या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन; से उद्भूत होता हैं''

घघ) ''न्यायिक सदस्य'' से अभिप्रेत है धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन विहित की गई अर्हताऐं रखने वाला सदस्य''

ड.) ''सदस्य से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया अधिकरण का सदस्य
च) ''पक्षकार'' के अन्तगत उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, या समुनदेशिती आएगा
छ) ''लोक उपक्रम'' से अभिप्रेत हे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) की धारा 617 के अर्थ के अतर्गत कोई सरकारी कंपनी और उसके अन्तर्गत है कोइ निगम या अन्य कानूनी निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो दोनों में से प्रत्येक दशा में पूर्णतः या सारतः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो,''
ज) ''अधिकरण'' से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित माध्यस्थम् अधिकरण और, उसके अन्तर्गत धारा 9 के अधीन गठित उसकी बैंच आती हैं
झ) ''संकर्म संविदा'' के अभिप्रेत है किसी भवन या अधिरचना (सुपर स्ट्रक्चर), बांध, बीयर, नहर, जलाशय, तालाब, झील, सड़क, कुआ, पुल, पुलिया, कारखाना, कर्मशाला, बिजलीघर, टांसफारमरों अथवा राज्य सरकार या लोक उमक्रम के ऐसे अन्य संकर्मो के, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित विनिर्दिष्ट करे, सन्निर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण से संबंधित किसी संकर्म के, उसके प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर निष्पादन के लिये कोई लिखित करार जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकारके किसी पदधारी द्वारा अथवा किसी लोक उपक्रम द्वारा या ऐसे लोक उपक्रम के लिये और उसकी और से उसके किसी पदधारी द्वारा किया गया हो और उसके अन्तर्गत है माल या सामग्री के प्रदाय के लिए कोइ करार और उक्त

संकर्मो मे से किसी संकर्म के निष्पादन से संबंधित समस्त अन्य विषय.''

(2) उन शब्दो ंऔर अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुई हैं, किन्तु पारिभाषित नहीं है, और जो माध्यस्थम् अधिनियम में परिभाषित है वे ही अर्थ होंगे । जो माध्स्थम् अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं –

अध्याय 2 अधिकरण का गठन

3. अधिकरण का गठनः–

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक माध्यस्थम् अधिकरण गठित करेगी जो संकर्म संविदा से संबंधित या किसी ऐसी संकर्म संविदा के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से उद्भूत होने वाले या उससे सम्बद्ध समस्त विवादों या मतभेंदों का निराकरण करेगा

4. अधिकरण का अध्यक्ष और उसके सदस्य तथा उनकी अर्हताऐंः–

(1) उपधारा (2) और (3) के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार अधिकरण में एक अध्यक्ष और इतने सदस्य नियुक्त कर सकेंगी जितने वह आवशयक समझे.(1–क) राज्य सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, न्यायिक सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगी जो अध्यक्ष के पद मे उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, छुट्टी या अन्य कारण से हुई रिक्त की दशा में, ऐसी रिक्त के दौरान अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा''
(2) किसी भी व्यक्ति को अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो.
(3) कोई भी व्यक्ति अभिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अंर्हित नहीं होगा जब तक कि–

एक) वह कम से कम साठ वर्ष से जिला न्यायाधीश न हो या कम से कम सात वर्ष तक जिला न्यायाधीश न रह चुका हो या
दो) वह कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से राजस्व आयुक्त न हो या कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक राजस्व आयुक्त न रह चुका हो या राजस्व आयुक्त की पदश्रेणी के समतुल्य कोई पद धारण न कर चुका हो या
तीन) वह–

> **क)** लोक निर्माण, सिंचाई या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राज्य सरकार की सेवा में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से मुख्य अभियंता न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक मुख्य अभियंता न रह चुका हो या
> **ख)** मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की सेवा में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से मुख्य अभिंयता न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक मुख्य अभियंता न रह चुका हो या
> **ग)** महालेखाकार, मध्यप्रदेश के कार्याकल में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से ज्येष्ठ उप–महालेखाकार न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक ज्येष्ठ उप महालेखाकार न रह चुका हैं''''परन्तु खण्ड (तीन) की दशा में, असाधारण परिस्थितियों में , राज्य सरकार पांच वर्ष की विहित न्यूनतम कालाविधि को शिथिल करके तीन वर्ष कर सकेगी ''.

5. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधिः–

(1) अधिकरण का अध्यक्ष और उसके सदस्य पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे .
(2) अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक के लिए, जब तक कि वह 67 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस हैसियत में पद धारण करेगा :परन्तु अध्यक्ष, अपने उत्तरवर्ती के उसके पद ग्रहण करने तक या छह मास तक, इनमें से जो भी पर्वतर हो पद धारण किए रहेगा.
(2क) सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक के लिए, जब तक कि वह पैसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता हैं, इनमें से जो पूर्वतर हो, उस हैसियत में पद धारण करेगा.''

6. अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी परिलब्धियांः–

अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसा वेतन, भत्ते और परिलब्धियों, यदि कोई हो, दी जाएंगी जो विहित की जाऐं, और जब तक नियम नही बनाए जाते हैं, तब तक उन्हे ऐसा वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां दी जाएंगी जो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, अवधारित करें.

अध्याय 3– अधिकरण के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ तथा अधिकरण की प्रक्रिया

7. अधिकरण को निर्देशः–
1. अधिकरण कोई निर्देश उस दशा में ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि–

> (क) विवाद पहले संकर्म संविदा के निबंधनों के अधीन अंतिम प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्देशित नही किया जाता है और
> (ख) याचिका, अंतिम प्राधिकारी के विनिश्चय के संसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीर अधिकरण को नहीं की जाती है :परन्तु यदि अंतिम प्राधिकारी उसे निर्देश किए जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर विवाद का विनिश्यच करने में असफल रहता हे वहां याचिका छह मांस की उक्त कालावधि का अवसान होने से एक वर्ष के भीतर अधिकरण को की जाएगी''.

(2)ऐसा निर्देश ऐसे प्रारूप में तैयार किया जाएगा जो विहित किया जाए और उसके समर्थन में ऐसा शपथ पत्र दिया जाएगा जिसमें प्रकथनों का सत्यापित किया गया हो.
(3)निर्देश के साथ ऐसी फीस ली जाएगी जो विहित की जाए
(4) प्रत्येक निर्देश के साथ ऐसी दस्तावेजें या ऐसा अन्य साक्ष्य दिया जाएगा और आदेशिकाओं की तामील या निष्पादन के लिए ऐसी अन्य फीस दी जाएगी जैसा विहित किया जाए
(5) उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, यदि अधिकरण का समाधान हो जाता है कि वह निर्देश न्याय निर्णयन के लिए उचित मामला है, तौ वह निर्देश को ग्रहण कर सकेगा किन्तु जहां अधिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् निर्देश को संक्षेपतः खारिज कर सकेगा''.

7–क. निर्देश याचिकाः–

(1) प्रत्येक निर्देश याचिका में वह संपूर्ण दावा सम्मिलित होगा जो पक्षकार निर्देश याचिका फाइल करने तक संकर्म संविदा के बारे में करने का हकदार है किन्तु किसी अन्य संकर्म संविदा से उद्भूत होने वाले दावे ऐसी निर्देश याचिका में संयोजित नहीं किए जाएंगे.

(2) जहां कोई पक्षकार कोई दावा या अपने दावे के किसी भा को निर्देशित करने का लोप करता है या उसका साशय त्याग कर देता हैं, वहां वह तत्पश्चात् ऐसे दावे के भाग के, जिनका इस प्रकार लोप या त्याग कर दिया है, संबंध में निर्देश करने के लिए हकदार नहीं होगा.
(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संकर्म संविदा से संबंधित ऐसे विवाद जो निर्देश याचिका फाइल किये जाने के पश्चात् उद्भूत हो, उनके उद्भूत होने पर, ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, ग्रहण किये जा सकेंगे जो विहित की जाएं

7—ख. परिसीमाः—

(1) अधिकरण कोई निर्देश उस दशा में ग्रहण नहीं करेगा—

> **(क)** जबकि किसी विवाद के संबंध में संकर्म संविदा के करार के निर्बंधनों के अधीन कोई विनिश्चय करार के अधीन अंतिम प्राधिकारी द्वारा किया जा चुका हो, वहां जब तक कि निर्देश याचिका ऐसे विनिश्चिय के, यदि कोई को, संसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर नही की जाती हैं।
> **(ख)** जबकि कोई विवाद करार के अधीन अंतिम प्राधिकार को निर्देशित किया गया है और ऐसा प्राधिकारी उसका विनिश्चय उसे निर्देश किये जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है, वहां जब तक कि वह निर्देश याचिका उक्त छह मास की कालावधि का अवसान हो जाने की तारीख से एक वर्ष भीतर नहीं की जाती हैं.

(2) उपधारा (1) के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पूर्व या ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किन्तु मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रांरभ होने के पूर्व किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रारम्भ ही नही की गई है, वहां निर्देश याचिका मध्यप्रदेश अधिकरण (संशोधन) अधिनियम 1990 के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इस तथ्य के होते हुए भी ग्रहण की जाएगी कि करार के अधीन अंतिम प्राधिकारी द्वारा कोई विनिश्चय किया गया है या नही.''
(2—क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण कोई निर्देश याचिका उस दशा में ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि निर्देश याचिका विवाद उत्पन्न होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर नहीं की जाती हैं ''.

8. निर्देश प्राप्त होने पर प्रक्रियाः—

(1)जैसे ही धारा 7 में वर्णित कोई निर्देश अधिकरण के कार्यालय में प्राप्त होता है, उसकी तथा शपथपत्र निर्देश प्राप्त होने पर और दस्तावेजों की संबीक्षा अधिकरण के ऐसे उत्तरदायी पदधारी द्वारा की जाएगी जिसे अध्यक्ष, साधारण प्रक्रिया, या विशेष आदेश द्वारा, उस निमित्त प्राधिकृत करें.
(2) निर्देश को, उसके व्यवस्थित पाये जाने की दशा में, या यदि उसमें कोई दोष या कमी पाई जाती है तो उसे दूर कर दिए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत और क्रमांकित किया जाएगा तथा अध्यक्ष के समक्ष जाएगा.
(3) अध्यक्ष, विवाद की प्रकृति, अन्तर्ग्रस्त रकम और अन्य सुसंगत बातो, यदि कोइ हो, का ध्यान रखते हुए, उसे बैंच को इस हेतु सौपेगा कि वह उस पर अधिनिर्णय दे.
(4) वह बैंच, जिसको कोई निर्देश इस प्रकार सौंपा जाता है, हेतुक दर्शित करने के लिए उसकी सूचना—विरोधी पक्षकार को जारी करवाएगी. सूचना ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए और उसमें उपसंजाति के लिए तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी.''परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्देश के लिये कोई आधार नही है तो इस उपधारा में कि कोई बात उसे निर्देश को उन कारणों से, जो लेख वद्ध किऐ जाऐगें, मामले के किसी भी प्रक्रम पर, खारिज करने से निवारित नही करेंगी''।
(5) विरोधी पक्षकार, सूचना में उपसंजाति के लिए विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व, लिखित उत्तर, जो विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होगा, ऐसे शपथपत्र के साथ फाइल कर सकेगा जिसमें उन प्रकथनों को सत्यापित किया गया हो जो उत्तर मे किये गये हैं.

9. बैंचों का गठन और कार्य वितरण करने की अध्यक्ष की शक्ति :–

(1) अध्यक्ष, कार्य के सुविधापूर्ण संपादन के लिए, एक या अधिक बैचों का गठन कर सकेगा जिनमें दो या अधिक इतनी संख्या में सदस्य होंगे, जैसा कि वह उचित समझे :परन्तु यदि बैंच की अध्यक्षता अध्यक्ष स्वयं नही कर रहा हो तो उसमें कम से कम एक सदस्य न्याययिक सदस्य होगा :परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष, किसी मामले में साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये एक बैच गठित कर सकेगा जिसमें एक सदस्य होगा''.
(2) अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, बैचों के बीच कार्य का वितरण कर सकेगा, और कोई मामला एक बैंच से प्रत्याहत करके उसे किसी दूसरी बैच को सौप सकेगा.
(3) अध्यक्ष किसी बैंच की संरचना में ऐसी परिवर्तन कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे.

10. अधिकरण और बैंचों की प्रक्रिया के लिए विनियमः–

अधिकरण, अपने समक्ष के या अपनी बैंचों के समक्ष के कार्य के संपादन के लिये विनियम बना सकेगा. इस प्रकार बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे और वे राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख को या ऐसी अन्य पश्चात्वर्ती तारीख को, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त होंगे.

11. अधिकरण या बैंच द्वारा स्वयं की प्रक्रिया का विनियमित किया जानाः–

माध्यस्थम् अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु किन्ही ऐसे विनियमों के, जो धारा 10 के अधीन बनाये जाऐ, अध्यधीन रहते हुए, अधिकरण अपने स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन इस प्रकार करेगा जैसा कि वह न्यायोचित और उचित समझे, किन्तु किसी पक्षकार को अपना प्रतिनिधितव किसी अधिवक्ता या मान्यत–प्राप्त अभिकर्ता से कराने के उसके अधिकार से वंचित नही किया जाएगा.

12. साक्ष्य, शपथपत्र आदि के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की बावत् अधिकरण या बैंच की शक्तिः–

(1) निम्नलिखित बातों के बारे में अधिकरण को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वे ही शक्तियां होगी जो सिविलि संहिता, 1908 (1908 का संख्या 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय न्यायालय में निहित होती हैं अर्थात्:–

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण
(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना
(ग) जहां किसी विवाद्य प्रश्न पर विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का सं. 1) के उपबन्धों के अधीन सुसंगत हो, वहां विशेषज्ञ की परीक्षा करना या निर्देश के पक्षकारों में से किसी पक्षकार को उसकी परीक्षा करने के लिये अनुज्ञात करना
(घ) साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का सं. 1) की धारा 123 तथा 124 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, लेखा बहियां तथा दस्तावेजों पेश करने के लिए बाध्य करना.''
(ड) कमीशन निकालना
(च) पक्षकार के या किसी साक्षी के शपथपत्र द्वारा तथ्यों का सबूत मंगाना और यह आदेश करना कि ऐसा शपथपत्र ऐसी शर्तो पर जिन्हे अधिकरण या संबंधित बैंच ठीक समझे, सुनवाई में पढा जा सकेगा.

13.बैठक का स्थान :–

अधिकरण, अपने समक्ष के कार्य का संपादन करने के लिये, सामान्यतः अपनी बैठके भोपाल में करेगा और जब कभी आवश्यक या सुविधाजनक समझा जाय, सुनवाई के लिये या स्थल निरीक्षण के लिये अपनी बैठके राज्य के भीतर किसी ऐसे अन्य स्थान पर भी कर सकेगा जैसा कि अध्यक्ष

अनुज्ञात करे.

14.कार्यवाहियों और अधिनिर्णय को कतिपय परिस्थितियों में चुनौती नहीं दी जाएगीः—

अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति में कोई ऐसी त्रुटि होने के कारण अथवा अधिकरण या उसकी किसी बैंच के समक्ष किन्ही`कार्यवाहियों में कोई ऐसी अनियमितता होने के कारण, जो मामले के गुणागुण पर या अधिकरण की अन्तर्निहित अधिकारिता पर प्रभाव न डालती हो, अधिकरण के समक्ष की कोइ भी कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं हो जाएगी और किसी भी अधिनिर्णय को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

15.कतिपय परिस्थितियों मे कार्यवाहियों का चालू रहनाः—

(1) अधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले में, वह इस बात के होते हुए भी कार्य कर सकेगा कि अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुपस्थित है या अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में कोई रिक्त हैं :
(2) जहां किसी कार्यवाही के दौरान, अधिकरण के गठन मे कोई परिवर्तन किसी रिक्ति के भर दिये जाने के कारण या किसी अन्य कारण से हो गया हो, वहां यह आवश्यक नहीं होगा कि कार्यवाहियों को नये सिरे से प्रांरभ किया जाय और उन कार्यवाहियों को उसी प्रक्रम से चाले रखा जा सकेगा जिस प्रक्रम पर परिवर्तन हुआ हो, और अधिकरण के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह उस साक्ष्य, उन शपथपत्रों तथा ऐसी अन्य सामग्री के आधार पर कार्यवाही करे जो गठन में यथा पूर्वोक्त परिवर्तन होने के पूर्व उसके समक्ष रखी जा चुकी है.

अध्याय 4—अधिकरण या उसकी बैचों के अधिनिर्णय और आदेश

16. अधिनिर्णयः—

(1) अधिकरण, साक्ष्य का अभिलेखन, यदि आवश्यक हो, करने के पश्चात्, और अभिलेख पर की सामग्री का परिशीलन करने तथा पक्षकारों को अपने—अपने तक प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् अधिनिर्णय देगा :''परन्तु यह और भी कि अधिकरण, जिसके अंतर्गत अंतरिम अधिनिर्णय भी है, के लिए संक्षेप में कारण देगा''
(2) अधिकरण, विरोधी पक्षकार पर निर्देश की सूचना की तामील होने के तारीख से यथासंभव चार मास के भीतर अपना अधिनिर्णय देगा.
(3) अधिकरण खर्चे तथा ब्याज ऐसी दर से अधिनिर्णीत कर सकेगा जो उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो.
(4) अधिनिर्णय सदस्यों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा. यदि बैच के सदस्यों के बीच किसी प्रश्न पर मतभेद हो, तो वह प्रश्न, यदि बहुमत हो, सदस्यों की बहुसंख्या की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, किन्तु यदि सदस्यगण बराबर—बराबर बंटे हुए हों, तो वह प्रश्न या वे प्रश्न, जिन पर उनमें मतभेद हो, यथास्थिति अधिकरण के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा या स्वयं अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रश्न या प्रश्नों पर सुनवाई किये जाने के लिए मामले के निर्देश के लिए कथित किये जाएंगे, और तब ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न अधिकरण के उन सदस्यों की जिन्होंने इस मामले को सुना हैं, जिनके अन्तर्गत वे सदस्य भी हैं जिन्होंने पहले उसकी सुनवाई की है, बहुसंख्या की राय के अनुसार विनिश्चित किये जाएंगे.''
(5) मंजूर किया गया अनुतोष, वह पक्षकार, जिसके पक्ष में तथा जिसके विरूद्ध अनुतोष मंजूर किया गया है और वह व्यक्ति, जिसके द्वारा तथा जिसके पक्ष में खर्चे तथा ब्याज, यदि कोई, संदेह है, अधिनिर्णय में स्पष्ट रूप से वर्णित किये जाएंगे.
(6) अधिनिर्णय की प्रतियां, जो अधिकरण के किसी ऐसे अधिकारी के, जिसे अध्यक्ष द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर से तथा उसकी मुद्रा लगाकर प्रमाणित की गई हों, सभी पक्षकारों को दी जाएंगी.

17. अधिनिर्णय की अंतिमताः—

माध्यस्थम् से संबंधित किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रेतिकूल बात के होते हुए भी किन्तु धारा 19 के अध्यधीन रहते हुए, अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिया गया अधिनिर्णय, जिसके अन्तर्गत ''अन्तरिम'' अधिनिर्णय भी आता हे, अंतिम तथा उसके पक्षकारों पर आबद्धकर होगा.

17—क अन्तनिर्हित शक्तियां:—

इस अधिनियम में की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेश करने अधिकरण की अन्तर्निहित शक्तियों को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है जो न्याय उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए या अधिकरण की आदेशिका के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक हैं :परन्तु अधिनिर्णय के पूर्व ब्यादेश रोक या कुर्की के तौर पर कोई अन्तरिम आदेश नहीं किया जाएगा :परन्तु यह और भी कि अधिकरण को अधिनिर्णय का, जिसके अन्तर्गत अन्तरिम अधिनिर्णय भी है, पुनर्विलोम करने की कोई शक्ति नहीं होगी.

17—ख. लेखन या गणित संबंधि भूलों का सुधार:—

अधिनिर्णयों, अंतरिम अधिनियमों या आदेशों में की लेखन या गणित संबंधी किन्ही भूलों, किसी आकस्मिक चूक या लोप के कारण उनमें हुई किन्ही त्रुटियों को अधिकरण द्वारा, किसी समय, या तो स्वप्रेरणा से या संबंधित पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर सुधारा जा सकेगा.''

18. अधिनिर्णय जिला न्यायालय की डिक्री का बल रखेगा:—

इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण में, यदि कोई हो, किये गये किसी आदेश द्वारा यथा पुष्टिकृत, विखंडित या फेरफारित किसी अधिनिर्णय को, जिसके अन्तर्गत अन्तरिम अधिनिर्णय भी आता है, सिविल प्रक्रिय संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की धारा 2 के अर्थ के अंतर्गत आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वह अधिनिर्णय या अन्तरिम अधिनियम किया गया है, और वह तदनुसार निष्पादनीय होगा.

अध्याय 5 — उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति.

19. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति—

(1) उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी समय, या अधिनिर्णय के तीन मास के भीतर किसी व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किये गये आवेदन पर, किसी ऐसे मामले का, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अधिनिण्रय किया गया हैं, अभिलेख अधिकरण को अध्यपेक्षा जारी करके मंगवा सकेगा, और ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अधिकरण उस न्यायालय को संबंधित अधिनिर्णय और उसका अभिलेख भेजेगा या भिजवाएगा.
(2) यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अधिकरण में—

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि के अनुसार उसमें निहित नहीं है; या
(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में चूक की है; या
(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है; या
(घ) स्वयं अवचार किया है या कार्यवाहियां का कुसंचालन किया; या
(ड.) ऐसा अधिनिर्णय दिया हे जो अविधिमान्य है या यह कि वह अधिनिर्णय कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा अनुचित रूप से उपाप्त किया गया है,तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे.

(3) उच्च न्यायालय, इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को विनिश्चित करने में, यथाशक्य उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिनका प्रयोग और जिसका अनुसरण वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की धारा 115 के अधीन किसी पुनरीक्षण को विनिश्चित करने मे करता हैं.(4) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण में किये गये अपने आदेश की एक प्रति प्रमाणित करके अधिकरण को भिजवाएगा.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, अधिनिर्णय के अन्तर्गत अन्तरिम अधिनिर्णय आएगा.

अध्याय 6—प्रकीर्ण

20. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जनः—

(1) अधिकरण के गठन की तारीख से, और माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 10) या सिविलि न्यायालय को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी प्रकार करार या प्रथा में किसी तत्प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, किसी भी अधिकारिता का वर्जन, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा किया जा सकता हैं ''(1—क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सिविल न्यायालय, उक्त उपधारा विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी विवाद को, जो किसी व्यक्ति द्वारा निर्धन व्यक्ति की हैसियत में निर्दिष्ट किया जाए, ग्रहण और विनिश्चित कर सकेगा.

स्पष्टीकरणः— इस उपधारा के प्रयोजन के लिए ''निर्धन व्यक्ति'' का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का सं. 5) में उसके लिए दिया गया हैं।''(2) उपधारा (1) में की कोई भी बात किन्ही ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी जा माध्यस्थम् अधिनियम के या माध्यस्थम् से संबंधित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन किसी मध्यस्थ या अधिनिर्णायक के समक्ष या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, और ऐसी कार्यवाहियों को करार या प्रथा या माध्यस्थम् अधिनियम के या माध्यस्थम् से संबंधित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार उनके सभी प्रक्रमों पर इस प्रकार चालू रखा जा सकेगा, सुना जा सकेगा और विनिश्चित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त ही न हुआ हों.

21. अधिकरण में अधिकारी और सेवकः—

(1) अध्यक्ष, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिकारियों और सेवकों के इतने पद सृजित कर सकेगा जितने कि आवश्यक हो, और अधिकरण के प्रशासनिक या अन्य कार्य के लिये अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा।परन्तु तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की श्रेणियों के अनुसचिवीय पदों से भिन्न पदों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्तियां

(एक) राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना, और
(दो) राज्य सरकार द्वारा इस विषया पर समय—समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों का अनुसरण किए बिना, नही की जाएगी ''

(2)अधिकरण के अधिकारियों और सेवकों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाऐ, और जब तक नियम नहीं बनाये जाते हैं, वे ऐसी होगी जैसी कि अध्यक्ष द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अवधारित की जाएं.

22. अध्यक्ष, सदस्य आदि लोक सेवक होंगेः—

इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत शक्तियों के आधार पर नियुक्ती किए गए अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक को भारतीय दण्ड संहिता, 1860

(1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा.

23. सद्‌भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षणः—

इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाये, इस अधिनियम के अनुसरण में सद्‌भावपूर्वक की गई सद्‌भावपूर्वक की या की जाने से सद्‌भावपूर्वक छोड दी गई किसी बात के लिये या यथापूर्वोक्त की गई या की जाने के लिऐ आशयित किसी गई कार्रवाई का अधिकारी या सेवक के विरूद्ध कोई भी वाद या अन्य कार्यवाही नही होगी.

24. न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराध के विषय में अधिकरण की अधिकारिता और शक्तियां आदिः—

(1) न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के, जहां तक कि वह ऐसे निर्देश या विधिक कार्यवाही से सम्बद्ध है, प्रयोजनों के लिये, अधिकरण को अपने समक्ष के किसी निर्देश या विधिक कार्यवाही के संबंध में सिविल न्यायालय समझा जाएगा और उसके समक्ष के किसी निर्देश या विधिक कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा.

(2) अधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 340, 342, 344, 345, 346, 348, 349, और 350 के अधीन ऐसी अधिकारिता होगी और वह उन धाराओं के अधीन की शक्तियां में से ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग करना यह स्वविवेकानुसार आवश्यक या समीचीन समझे.

25. प्रत्यायोजित करने की शक्तिः—

अध्यक्ष, लिखित आदेश द्वारा और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तो के, यदि कोई हो, जिन्हें वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे, अध्यधीन यह निदेश दे सकेगा कि —

(एक) अधिकरण के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति से संबंधित
(दो) अधिकरण के प्रशासनिक मामलों से संबंधित ; और
(तीन) वित्तीय मामलों से संबंधित
किसी शक्ति का, जिसका प्रयोग इस अधिनियम द्वारा या उसके अनुसरण में अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, ''प्रयोग अधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा और/या एक या अधिक सदस्यों द्वारा या एक या अधिक अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा.

26. मुद्राः—

अधिकरण या उसकी बैंच और अधिकारी ऐसी मुद्राएं उपयोग में ला सकेगे जिन पर हिन्दी और अंग्रेजी में ऐसा उत्कीर्ण लेख होगा जैसा कि अध्यक्ष अनुमोदित करें.

27. दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रतियांः—

ऐसी शर्तो के तथा ऐसी फीस के पूर्व संदाय के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि राज्य सरकार इस निमित विहित करे, अभिलेख और के दस्तावेजें जो ऐसे अभिलेखों के भागरूप हों, समस्त पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं या विधि व्यवसायियों के निरीक्षण के लिये अधिकरण के कार्यालय समय के दौरान खुले रहेंगे, और यथा पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए, अधिनिर्णय, अन्तरिम की और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जिनके लिए पक्षकार, उनके अभिकर्ता या विधि व्यवसायी आवेदन करे, अधिकरण के ऐसे अधिकारी के प्रमाणपत्र के अधीन दी जाएंगी जिसे अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उस निमित नियुक्त करें.

27—क. अधिवक्ता की फीस का अवधारणः—

कार्यवाहियां में दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार की ओर से अधिकरण के समक्ष उपसंचालक होने

वाले अधिवक्ता की देय फीस उतनी हागी जो विहित की जाए.''

28. अभिलेख रजिस्टर आदि रखने और जानकारी तथा आंकड़े देने के लिए अधिकरण को निदेश देने की राज्य सरकार की शक्तिः—

राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, अधिकरण को निर्देश दे सकेगी कि वह—
(क)ऐसी वाहियां, जिनके अन्तर्गत लेखावाहियां, रजिस्टर, अभिलेख और फाइलें आती हैं, तथा ऐसी कालावधि के लिये, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए रखे;
(ख)अधिकरण के गठन और कार्यकरण के बारे में संस्थित, लंबित तथा निपटाए गए प्रकरणों की संख्या के बारे में, या किसी अन्य संसक्त विषय के बारे में ऐसी जानकारी या आंकडे, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, राज्य सरकार को दे.

29. नियम बनाने की शक्तिः—

(1) राज्य सरकार साधारणतः इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकेगी.
(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेगे—

(क) धारा 6 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां (यदि कोई हो);
(ख) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन निर्देश का प्रारूप ''(ख—ख) **(एक)** धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन, निर्देश के लिए फीस,
(दो)धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन वह फीस जो आदेशिकाओं की तामील या उनके निष्पादन के लिए निर्देश के साथ दी जाएगी और ऐसी दस्तावेजें या अन्य साक्ष्य जो निर्देश के साथ दिए जाएंगे;
(ख ख ख) धारा 7—क की उपधारा (3) के अधीन वह शर्त जिसके अध्यधीन रहते हुए कोई निर्देश याचिका ग्रहण की जा सकेगी''.
(ग) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन सूचना का प्रारूप;
(घ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्ते
(ड) धारा 27 के अधीन अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये फीस और वे शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुये ऐसा निरीक्षण किया जा सकेगा, तथा पूर्वोक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दी जाने के लिये फीस
(च) अधिकरण, उसकी बैचों द्वारा तथा अभिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मुद्राओं का आकार और विवरण;
(छ) निर्देश, आवेदन और शपथ पत्रों तथा वकालतनामा के संबंध में और दस्तावेजों , आवेदनों पर या अधिनिर्णय, अन्तरिम अधिनिर्णय, आदेश, राय, प्रमाण—पत्र तथा अधिकरण या उसकी बैच के समक्ष की कार्यवाहियां के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां तैयार करने के लिये देय फीस और ऐसी फीस दी जाने की रीति;''
(छ छ) धारा 27—क के अधीन अधिवक्ताओं को देय फीस.''
(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जायें या विहित किया जा सकता हो.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.

30. कठिनाइयां दूर करने की शक्तिः—

यदि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी अधिसूचित आदेश के उपबन्धों को प्रभावशील करनें में कोई कठिनाई उद्भुत होती है तो राज्य सरकार उस कठिनाई को लिखित आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किये गये अधिसूचित आदेश के उपबन्धों से असंगत न हो दूर कर सकेगी :परन्तु कोई भी ऐसा

आदेश, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान् हो जाने के पश्चात् नही किया जाएगा.

31. विनियमों और कतिपय आदेशों का विधान सभा के समक्ष रखा जानाः–

धारा 10 के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम और धारा 30 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा और मध्यप्रदेश साधारण खड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 24–क क उपबन्ध उसे उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे नियमों को लागू होते हैं.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2005—श्रावण 8, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई, 2005

क्रमांक-6275/21-अ/प्रारुपण/छ.ग./05.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-7-05 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमलासिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 8 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का क्रमांक 29) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जावेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

"मूल अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (1983 का क्रमांक 29).

धारा 2 एवं 20 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) (क) एवं धारा 20 की उपधारा (1) में शब्दों एवं अंको "माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1940 (1940 का क्रमांक 10)" के स्थान पर अंक एवं शब्द "माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का क्रमांक 26)" स्थापित किया जावे.

धारा 13 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द "भोपाल" के स्थान पर शब्द "रायपुर" स्थापित किया जावे.

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई, 2005

क्रमांक-6275/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 8 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमलासिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2005)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ACT, 2005

A Act to amend The Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-sixth year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005. **Short title and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— **Definition.**

"Principal Adhiniyam" means the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

3. In Sub-section (1) (a) of Section 2 and Sub-section (1) of Section 20 of the Principal Adhiniyam, for the words and figures "Arbitration Act, 1940 (No. 10 of 1940)" the words and figures "the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (No. 26 of 1996)" shall be substituted. **Amendment of Section 2 and 20.**

4. In Section 13 of the Principal Adhiniyam for the word "Bhopal" the word "Raipur" shall be substituted. **Amendment of Section 13.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जनवरी 2006—पौष 29, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक 558/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-1-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

धारा 7-ख का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 7-ख की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(2-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण कोई निर्देश याचिका तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि निर्देश याचिका उस तारीख से तीन वर्ष के भीतर नहीं की जाती है, जिसको संकर्म संविदा पर्यवसित हो जाती है, पुरोबंधित हो जाती है, परित्यक्त कर दी जाती है या किसी अन्य रीति से समाप्त हो जाती है या जब संकर्म संविदा के लंबित रहने के दौरान कोई विवाद उद्भूत हो जाता है :

परंतु यदि निर्देश याचिका राज्य सरकार द्वारा फाइल की जाती है तो ऐसा काल तीस वर्ष होगी."

धारा 19 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(1) उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी समय या अधिनिर्णय के तीन माह के भीतर व्यथित पक्षकार द्वारा पुनरीक्षण के लिए उसे किये गए आवेदन पर, किसी ऐसे मामले का जिसमें इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय किया गया है, अधिकरण को अध्यपेक्षा जारी करके अभिलेख मंगवा सकेगा, और ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अधिकरण उस न्यायालय को संबंधित अधिनिर्णय और उसका अभिलेख भेजेगा या भिजवायेगा :

परन्तु पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन तीन मास के विहित कालावधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक, उच्च न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे कालावधि के भीतर पुनरीक्षण करने के लिए पर्याप्त हेतुक था.

स्पष्टीकरण :— यह तथ्य, कि आवेदक विहित कालावधि का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस उपधारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा."

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक 558/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 3 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2005)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhinuyam, 1983.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Sixth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005. **Short title.**

2. After sub-section (2) of section 7-B of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following sub-section shall be added, namely :— **Amendment of Section 7-B.**

"(2-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Tribunal shall not admit a reference petition unless it is made within three years from the date on which the works contract is terminated, foreclosed, abandoned or comes to an end in any other manner or when a dispute arises during the pendency of the works contract.

Provided that if a reference petition is filed by the State Government, such period shall be thirty years."

3. For sub-section (1) of section 19 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 19.**

"(1) The High Court may suo moto at any time or on an application for revision made to it within three months of the award by an aggrieved party, call for the record of any case in which an award has been made under this Act by issuing a requisition to the Tribunal, and upon receipt of such requisition the Tribunal shall send or cause to be sent to that Court the concerned award and record thereof :

Provided that any application for revision may be admitted after the prescribed period of three months, if the applicant satisfies the High Court that he had sufficient cause for not preferring the revision within such period.

Explanation—The fact that the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this sub-section."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जुलाई 2012—श्रावण 8, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्रमांक 6344/डी. 168/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 5 की उप-धारा (2-क) में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2012

क्रमांक 6344/डी. 168/21-अ/प्रारू./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2012)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ACT, 2012

An Act further to amend the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5.

2. In sub-section (2-A) of Section 5 of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), for the words "three years" the words "five years" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 जुलाई 2017 — आषाढ़ 26, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्रमांक 6581/डी. 142/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-01-2016 को राज्यपाल एवं दिनांक 02-07-2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015.

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) की धारा 4 की उप-धारा (3) में,-

(एक) खण्ड (तीन) में,-

(क) उप-खण्ड (क) में, शब्द तथा चिन्ह "सिंचाई" के पश्चात्, चिन्ह तथा शब्द ",पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग" अंत:स्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द "पांच वर्ष", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) खण्ड (तीन) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह कि खण्ड (तीन) के मामले में, अपवादात्मक परिस्थितियों में, राज्य शासन, दो वर्ष की विहित न्यूनतम अवधि को, एक वर्ष या एक वर्ष से कम, शिथिल कर सकेगा."

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्र. 4 सन् 2015) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्रमांक 6581/डी. 142/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-07-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 8 of 2017)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015.

An Act further to amend the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 4.

2. In sub-section (3) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), -

(i) In clause (iii),-

(a) In sub-clause (a), after the word "Irrigation", the punctuation and words ", Department of Panchayat and Rural Development" shall be inserted; and

(b) For the words "five years", wherever they occur, the words "two years" shall be substituted.

(ii) For proviso to clause (iii), the following shall be substituted, namely :-

"Provided that in case of clause (iii), in exceptional circumstances, the State Government may, relax the prescribed minimum period of two years to one year or less than one year."

Repeal.

3. The Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2015 (No. 4 of 2015) is hereby repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 .

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2019 — आषाढ़ 14, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 जून 2019

क्रमांक 6286/डी. 117/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-03-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) की धारा 2 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (झ) में, शब्द "ट्रांसफार्मरों" के पश्चात् एवं शब्द "अथवा राज्य सरकार या लोक उपक्रम के ऐसे अन्य संकर्मों" के पूर्व, शब्द ",ट्यूब वेल ड्रिलिंग वर्क, चबूतरा निर्माण तथा हैण्डपम्प स्थापना का कार्य, जलशुद्धिकरण संयंत्र निर्माण कार्य, इंटेकवेल निर्माण कार्य, सभी प्रकार के पाईप प्रदाय एवं पाईप लाईन बिछाने का कार्य, पम्प हाऊस निर्माण कार्य, उच्च स्तरीय टंकी/संपवेल निर्माण कार्य, रॉ/क्लीयर वाटर पम्प के कार्य, आयरन रिम्हूवल प्लांट/फ्लोराईट रिम्हूवल प्लांट का प्रदाय एवं स्थापना का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य, भू-जल संवर्धन से संबंधित रिचार्ज स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य" अंत:स्थापित किया जाये.

अटल नगर, दिनांक 27 जून 2019

क्रमांक 6286/डी. 117/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-6-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 9 of 2019)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019. **Short title, extent and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 2, in sub-section (1), in clause (i) of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), after the word " transformers" and before the words "or such other words", the punctuations and words ",tube well drilling work, ramp construction and hand pump installation work, water purification plant construction work, intake well construction work, all types of pipe supply and pipeline laying work, pump house construction work, high level tank/ sump well construction work, raw/clear water pumps work, supply and establishment of iron removal plant/fluoride removal plant work, rain water harvesting work, construction of recharge structures related to ground water enrichment work" shall be inserted. **Amendment of Section 2.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.